

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय

क्रमांक/एल-9-2005/ब-7/डी.एम.सी./चार

भोपाल, दिनांक 11/5/2022

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश

विषय - वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम त्रैमास के दौरान विभिन्न निधियों में जमा राशियों पर ब्याज की दर।

राज्य शासन वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम त्रैमास (1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022) के दौरान सामान्य भविष्य निधि (मध्यप्रदेश), अंशदायी भविष्य निधि (मध्यप्रदेश), पटवारी विशेष भविष्य निधि (मध्यप्रदेश), मध्य भारत जीवन बीमा निधि (मध्यप्रदेश), विभागीय भविष्य निधि (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश शासकीय सेवक कर्मचारी बीमा-सह बचत योजना 2003 में निम्नानुसार ब्याज दर निर्धारित करता है :-

प्रथम त्रैमास (1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022)	7.1 प्रतिशत
--	-------------

2/- उपरोक्त ब्याज दर वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम त्रैमास के लिए प्रभावशील होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(अरविन्द कुमार गुप्ता)


अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल ।
3. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर ।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल ।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर ।
6. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश शासन,भोपाल ।
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग,मध्यप्रदेश भोपाल।
10. रजिस्टार मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, भोपाल/ जबलपुर/
इन्दौर/ ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/ लेखापरीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, म.प्र., ग्वालियर
/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड/माध्यमिक शिक्षा मंडल,मध्यप्रदेश भोपाल।
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग।
15. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
16. मुख्य सचिव के स्टॉफ ऑफीसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल ।
17. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना
शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्यलेखाधिकारी) मंत्रालय भोपाल ।
18. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा / पेंशन, मध्यप्रदेश ।
19. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।

20. समस्त प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश ।
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल ।
22. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
23. संचालनालय, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली, मंत्रालय, भोपाल को, वित्त विभाग की वेबसाईट www.finance.mp.gov.in पर अपलोड करने हेतु ।


(अरविन्द कुमार गुप्ता)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग